न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमन्द

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 74/2012

दायर दिनांक 23.10.2012

निर्णय दिनांकः 01.04.2021

अनवान् मुकदमा

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, आमेट

————————**प्रार्थी**

बनाम

श्री अब्दुल रहमान पिता जीवन जी उस्ता निवासी–सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमन्द

————————**अप्रार्थी**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री कैलाश चन्द्र बोल्या, राजकीय अधिवक्ता।

2– अप्रार्थी अनुपस्थित।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, आमेट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गाडरियावास तहसील आमेट स्थित भूमि खसरा नम्बर 713/600 रकबा 01.0800 हैक्टर किस्म बारानी III भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है।

मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1982 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 66 रकबा 25.07 बीघा किस्म नदी चंद्रभागा दर्ज रेकार्ड भूमि थी। इस प्रकार अप्रार्थी के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नदी चंद्रभागा दर्ज रेकार्ड भूमि थी एवं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि आवंटन/नियमन में प्रतिबन्धित होने से इसमें खातेदारी अधिकार देय नहीं है। D.B.Civil Writ Petition No. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 02.08.2004 के अनुसार भी ऐसी भूमियों के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने के निर्देश हैं। अतः अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी चंद्रभागा भूमि होने से अप्रार्थी के नाम से निरस्त कर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकीन किस्म नदी चंद्रभागा दर्ज करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 के तहत को दर्ज कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। किन्तु अनुपस्थित रहा है।

राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम गाडरियावास तहसील आमेट स्थित भूमि खसरा नम्बर 713/600 रकबा 01.0800 हैक्टर किस्म बारानी III भूमि अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी के खाते अंकित भूमि मूलतः मेवाड़ सेटलमेंट के दौरान भी किस्म नदी चंद्रभागा दर्ज रेकार्ड भूमि थी इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी चंद्रभागा बिलानाम गैर मुमकिन श्रेणी की भूमि है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों अर्थात् राजस्व स्वामित्व के जल प्रवाह एवं जल संग्रहण की खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों व नदी नाला आदि की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। यदि ऐसी भूमियों पर निजी खातेदारी दर्ज है तो उक्त कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा,88 एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है। अतः धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत ऐसी भूमियों पर दी गयी निजी खातेदारी निरस्त की जानी चाहिए। अतः उक्त भूमि अप्रार्थी के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी दर्ज करवायी जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल को मामला प्रेषित करने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया । मेवाड़ सेटलमेन्ट की नकल जमाबन्दी सम्वत् 1982 में भी इसका मूल खसरा नम्बर 66 रकबा 25.07 बीघा किस्म नदी चंद्रभागा दर्ज रेकार्ड भूमि थी। जबकि रेकार्ड से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी के खाते वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि मूलतः किस्म नदी भूमि है, जिस पर गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अप्रार्थी कानूनन् अधिकारिता नहीं रखती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की खण्ड पीठ ने रिट पिटिशन नम्बर 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनांक 02.08.04 के बिन्दू संख्या 04 में राजस्व स्वामित्व की झील व अन्य जलाशयों नदी,नाला,नाली आदि के खातेदारी भूमि के अर्जन के संबन्ध में निर्देश दिए है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत ऐसी गैर मुमकिन श्रेणी दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों की भूमियों पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। अतः ऐसी प्रतिबन्धित भूमियों पर दर्ज निजी खातेदारी कानूनन् निरस्त किये जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु स्वीकार किया जाता है। ग्राम गाडरियावास तहसील आमेट स्थित भूमि खसरा नम्बर 713/600 रकबा 01.0800 हैक्टर किस्म बारानी iii अप्रार्थी के नाम पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटाकर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म नदी राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने की दुरुस्ती के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर

निर्णय आज दिनांकः 01.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द